प्रेषक,

जिलाधिकारी,
पिथौरागढ़।

सेवा में,

Consultant (Judicial),
Hon'ble National Green Tribunal,
New Delhi.

संख्या–2161 /तीस–खनन/2023–24 दिनांक अप्रैल 26, 2024

विषय : मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या–78/2023 दुर्गा सिंह पवांर एवं अन्य बनाम राजेन्द्र सिंह दफौटी एवं अन्य के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त मामलें में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा ग्राम बजेता, तहसील मुनस्यारी (तेजम), जनपद पिथौरागढ़ क्षेत्रान्तर्गत 17.967 है0 भूमि पर मै0 जे0डी0 मिनरल्स प्रो0 श्री राजेन्द्र सिंह दफौटी, बी0–54 जज फार्म, छोटी मुखानी हल्द्वानी, जनपद नैनीताल के पक्ष में स्वीकृत सोपस्टोन पट्टा क्षेत्र के सम्बन्ध में विचाराधीन मूल आवेदन संख्या–78/2023 दुर्गा सिंह पवांर एवं अन्य बनाम राजेन्द्र सिंह दफौटी एवं अन्य में दिनांक 19.04.2024 को निम्नानुसार आदेश पारित किये हैं :–

--------3. In view of the reasons mentioned requests are allowed and the District Magistrate, Pithoragarh and Regional Officer are exempted from personal appearance.

4. Mr. Ashutosh Singh, DFO is present through VC and we have interacted with him.

5. On request case is adjourned to 01.05.2024.

6. The District Magistrate, Pithoragarh, DFO, Pithoragarh and RO, UKPCB, Pithoragarh are directed to remain present before this Tribunal physically or through VC on that date with the relevant record.

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेशों कम में प्रतिवादी संख्या–05 पट्टाधारक मै0 जे0डी0 मिनरल्स प्रो0 राजेन्द्र सिंह दफौटी द्वारा पट्टाक्षेत्र के सम्बन्ध में समिति द्वारा पूर्व में सुझाये गये कार्यो के सम्बन्ध में कृत अनुपालन की अद्यतन स्थिति हेतु समिति द्वारा पुनः दिनांक 24.04.2024 को याचिकाकर्ता श्री दुर्गा सिंह पवांर के प्रतिनिधि तथा पट्टाधारक/प्रतिवादी संख्या–05 मै0 जे0डी0 मिनरल्स प्रो0 राजेन्द्र सिंह दफौटी के प्रतिनिधि की उपस्थिति में पट्टाक्षेत्र ग्राम बजेता, तहसील मुनस्यारी (तेजम), जनपद पिथौरागढ़ का निरीक्षण किया गया। समिति द्वारा प्रस्तुत अद्यतन आख्या/सत्यापन रिपोर्ट दिनांक 26.04.2024 की प्रति मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के संज्ञानार्थ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्न–उक्तानुसार।

भवदीया,

(रीना जोशी)
जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।

संख्या एवं तिथि उक्तवत्।

प्रतिलिपि सुश्री अंजली राजपूत, पैनल अधिवक्ता, मा0 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली को समिति द्वारा प्रस्तुत अद्यतन आख्या/सत्यापन रिपोर्ट की प्रति सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त मामले में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों के कम में शासकीय पक्ष दाखिल करवाने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि श्री ललित जोशी, जिला खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, पिथौरागढ़ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त मामलें में पैनल अधिवक्ता, मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली से समन्वय स्थापित कर मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली में नियत समयान्तर्गत शासकीय पक्ष दाखिल करवाना सुनिश्चित करें।

(रीना जोशी)
जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।

संयुक्त जांच आख्या

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा ग्राम बजेता, तहसील मुनस्यारी (तेजम), जनपद पिथौरागढ़ क्षेत्रान्तर्गत 17.907 है0 भूमि पर मै0 जे0डी0 मिनरल्स प्रो0 श्री राजेन्द्र सिंह दफौटी, बी0-54 जज फार्म, छोटी मुखानी हल्द्वानी, जनपद नैनीताल के पक्ष में स्वीकृत सोपस्टोन पट्टा क्षेत्र के सम्बन्ध में विचाराधीन मूल आवेदन संख्या-70/2023 दुर्गा सिंह पवांर एवं अन्य बनाम राजेन्द्र सिंह दफौटी एवं अन्य में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा दिनांक 19.04.2024 को निम्नानुसार आदेश पारित किये हैं :-

.......3. In view of the reasons mentioned requests are allowed and the District Magistrate, Pithoragarh and Regional Officer are exempted from personal appearance.

4. Mr. Ashutosh Singh, DFO is present through VC and we have interacted with him.

5. On request case is adjourned to 01.05.2024.

6. The District Magistrate, Pithoragarh, DFO, Pithoragarh and RO, UKPCB, Pithoragarh are directed to remain present before this Tribunal physically or through VC on that date with the relevant record.

उक्त के अनुपालन में प्रतिवादी संख्या-05 पट्टाधारक मै0 जे0डी0 मिनरल्स प्रो0 राजेन्द्र सिंह दफौटी द्वारा पट्टाक्षेत्र समिति द्वारा पूर्व में सुझाये गये कार्यों के सम्बन्ध में कृत अनुपालन की अद्यतन स्थिति हेतु जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ के पत्र दिनांक 22.04.2024 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार पुनः समिति द्वारा दिनांक 24.04.2024 को याचिकाकर्ता श्री दुर्गा सिंह पवांर के प्रतिनिधि तथा पट्टाधारक/प्रतिवादी संख्या-05 मै0 जे0डी0 मिनरल्स प्रो0 राजेन्द्र सिंह दफौटी के प्रतिनिधि की उपस्थिति में निरीक्षण किया गया। संयुक्त जांच आख्या में निम्न अधिकारी उपस्थित थे। (अनुलग्नक-01)

1. उप जिलाधिकारी, मुनस्यारी।
2. जिला खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, पिथौरागढ़।
3. सहा0 वैज्ञानिक अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, हल्द्वानी।
4. वन दरोगा, गिरगाँव अनुभाग, वन क्षेत्र मुनस्यारी।

उक्त के अतिरिक्त निम्न अधिकारी/अन्य भी उपस्थित रहे :-

1. तहसीलदार, तेजम।
2. अवर अभियन्ता, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, हल्द्वानी।
3. राजस्व उप निरीक्षक, बांसबगड़।
4. खनन मोहर्रिर, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, पिथौरागढ।
5. श्री कुँवर सिंह कोरंगा, प्रतिनिधि, पट्टाधारक श्री राजेन्द्र सिंह दफौटी।
6. श्री पुष्कर सिंह, प्रतिनिधि याचिकाकर्ता श्री दुर्गा सिंह।
7. श्री इन्द्र सिंह एवं अन्य, निवासी ग्राम बजेता, तहसील तेजम।

निरीक्षण के दौरान पट्टाधारक द्वारा पट्टाक्षेत्र में किये गये उपचारात्मक उपायों के अनुपालन की अद्यतन स्थिति बिन्दुवार निम्नवत् पाई गई :-

1. पट्टाधारक द्वारा ग्राम बजेता, तहसील मुनस्यारी (तेजम), जनपद पिथौरागढ़ अन्तर्गत स्वीकृत सोपस्टोन खनन पट्टाक्षेत्र से बाहर 600 वर्गमीटर क्षेत्र में अवैध खनन किये जाने पर उत्तराखण्ड (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियावमली-2021 में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार आदेश संख्या-मु0फौ0सं0-20/2023 दिनांक 25.04.2023 के द्वारा कुल ₹ 14,74,200.00 की धनराशि अधिरोपित की गई थी। अधिरोपित धनराशि को पट्टाधारक श्री राजेन्द्र सिंह दफौटी द्वारा चालान संख्या-08530423E0054654 दिनांक 29. 04.2023 एवं चालान संख्या-0853072E0025630 दिनांक 11.07.2023 से शासन के निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा राजकोष की जा चुकी है। निरीक्षण के दौरान क्षेत्रान्तर्गत खनन/अवैध खनन कार्य नहीं पाया गया। (अनुलग्नक-02)

Lalit

1033

सत्यापित

जिलाधिकारी
पिथौरागढ़

खनन पट्टा क्षेत्र से बाहर अवैध खनन तथा अवैध पातन के सम्बन्ध में वन विभाग द्वारा भारतीय वन अधिनियम–1927 की धारा–32, 33 प्रसूचना–04 रेंज के संख्या–14 दिनांक 15.03.2023 दर्ज करते हुए, प्रतिवादी संख्या–05 पर ₹ 3,21,748.00 की धनराशि अधिरोपित की गई, जिसे प्रतिवादी संख्या–05 द्वारा दिनांक 21.09.2023 को जमा राजकोष किया जा चुका है। (अनुलग्नक–03)

2. खनन से पूर्व में निस्तारित मलवे को प्रतिवादी संख्या–05 द्वारा रोकने के लिये पूर्व में ढालदार भू–भाग में सीढ़ीनुमा आकार के विभिन्न स्तरों में तारयुक्त 14 दीवारों का निर्माण किया गया था, जिनकी औसतन लम्बाई 3.60 मी0, चौड़ाई 0.70 मी0 एवं ऊँचाई 1.30 मी0 पाई थी। समिति द्वारा सुझाये गये उपायों के अनुरुप प्रतिवादी संख्या–05 द्वारा स्थल पर निस्तारित मलवे को रोकने के लिए पूर्व निर्मित दीवारों के ऊपर 01 अतिरिक्त जालीनुमा तारयुक्त सुरक्षा दीवार का निर्माण किया गया है, जिसकी लम्बाई 39.00 मी0, चौडाई 1.30 मी0 एवं ऊँचाई 1.50 मी0 औसतन पाई गई। उपरोक्त के अतिरिक्त समिति द्वारा पूर्व में सुझाये गये उपायों के अनुरुप पट्टाधारक/प्रतिवादी संख्या–05 द्वारा एक अन्य स्थान पर भी मलवे को ढालदार भू–भाग में गिरने से रोकने हेतु सुरक्षा दीवार का निर्माण किया गया है, जिसकी लम्बाई 35.00 मी0, चौडाई 1.40 मी0 एवं ऊँचाई 1.50 मी0 औसतन पाई गई। इस प्रकार स्थल की भौगोलिक स्थिति के अनुरुप निस्तारित मलवें को ढालदार भू–भाग में गिरने से रोकने हेतु निर्मित दीवार उचित प्रतीत होती है। (फोटोग्राफ अनुलग्नक–04)

3. खनन क्षेत्र के समीप वृक्षारोपण हेतु कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ वन प्रभाग, पिथौरागढ़ के पत्र संख्या–7174/9–2 दिनांक अप्रैल 25, 2024 के द्वारा प्रतिवादी संख्या–05/पट्टाधारक श्री राजेन्द्र सिंह दफौटी, बी0–54, जज फार्म छोटी मुखानी हल्द्वानी, जनपद नैनीताल को ₹ 45,07,160.00 की मांग प्रेषित की गई है, जो पट्टाधारक द्वारा वर्तमान तक जमा नहीं किया गया है। निरीक्षण के दौरान खननपट्टा क्षेत्र के समीप वृक्षारोपण नहीं पाया गया। (अनुलग्नक–05)

4. मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के पूर्व निर्गत आदेशों के अनुपालन में पट्टा क्षेत्र ग्राम बजेता, तहसील मुनस्यारी (तेजम), जनपद पिथौरागढ़ क्षेत्रान्तर्गत खनन/निकासी कार्य प्रतिबन्धित किया गया है। निरीक्षण के दौरान भी क्षेत्रान्तर्गत खनन कार्य बन्द पाया गया। (अनुलग्नक–06)

जांच में पाये गये उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रतिवादी संख्या–05 मै0 जे0डी0 मिनरल्स प्रो0 श्री राजेन्द्र सिंह दफौटी, निवासी बी0–54 जज फार्म छोटी मुखानी, हल्द्वानी, जनपद नैनीताल द्वारा पट्टाक्षेत्र के समीप वन पंचायत क्षेत्र में वृक्षारोपण कराते हुए रोपित वृक्षों की सुरक्षा एवं देख–रेख की जानी होगी।

संलग्न–उक्तानुसार।

अवर अभियन्ता यू0के0पी0सी0बी0 हल्द्वानी।	वन दरोगा, गिरगाँव अनुभाग, वन क्षेत्र मुनस्यारी।	सहा0 वैज्ञा0 अधि0 यू0के0पी0सी0बी0 हल्द्वानी।
तहसीलदार तेजम।	Lalit खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग पिथौरागढ़।	24.04.2024 उप जिलाधिकारी, मुनस्यारी।

सत्यापित।

जिलाधिकारी
पिथौरागढ़

अनुलग्नक - 01

जिलाधिकारी कार्यालय पिथौरागढ़ के पत्रांक सं 1985 दि 22 अप्रैल 2024 के उच्च न्यायालय में रिट याचिका सं 98/2023 दुर्गा सिंह पंवार एवं अन्य बनाम राज्य सिंह दफौटी एवं अन्य में मै. जे.डी. मिनरल्स, ग्राम- बजेता का स्थलीय संयुक्त निरीक्षण दि 24/5/2024 को किया गया। संयुक्त स्थलीय निरीक्षण में उपस्थित निम्नवत है

क्र.स	नाम / पदनाम	कार्यालय	हस्ताक्षर
1 -	जयकृत सिंह, तहसीलदार तेजम	तहसील तेजम	[signature]
2-	ललित जोशी जिला खान अधिकारी, पिथौरागढ़	भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, पिथौरागढ़	Lalit
3.	हरीश चन्द्र जोशी सहा० पर्या० अभि०	उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हल्द्वानी	[signature]
(4)	रमेश सिंह वन दरोगा गिरगाँव अनुभाग वन क्षेत्र मुनस्यारी	गिरगाँव/डोर अनुभाग वन क्षेत्र मुनस्यारी	[signature]
5	राजेन्द्र सिंह सामंत रा.नि. बांसबगड़	तहसील कार्यालय	R-S-Sd
6	शुभम गुसाईं (अवर अभियंता)	UKPCB Haldwani	[signature]
7	[signature] खनिज मोहर्रिर भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग पिथौरागढ़		[signature]
(8)	जे० डी० मिनरल्स प्रतिनिधि हल्द्वानी		[signature]
(9)	इन्द्र सिंह	ग्राम - बजेता	[signature]
10-	पुष्कर सिंह प्रतिनिधि [illegible] सिंह	ग्राम - बजेता	[signature]
(11)	[signature]		[signature]
(12)	कुन्दन सिंह नेगी	बजेता	
(12)	दान सिंह पंवार		[signature]
	इन्द्र सिंह पंवार	"	इन्द्र सिंह

Lalit

सत्यापित

[signature]

जिलाधिकारी
पिथौरागढ़

अनुलग्नक-02

न्यायालय कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट,पिथौरागढ़।
विविध मु0फौ0सं0–20/2023 खान एवं खनन अधि0

सरकार

बनाम

विपक्षीः– मै0 जे0डी0मिनरल्स, प्रो0 राजेन्द्र सिंह डफौटी, बी–54, जज फार्म छोटी मुखानी हल्द्वानी जिला नैनीताल।

:: **आदेश** ::

उपरोक्त वाद मेरे न्यायालय में खान निरीक्षक, प्रभारी खान अधिकारी, पिथौरागढ़ ने चालानी रिपोर्ट दिनांक 13.04.2023 के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। चालानी रिपोर्ट में, खान निरीक्षक, प्रभारी खान अधिकारी, पिथौरागढ़ ने उल्लिखित किया गया है, कि दिनांक 31.03.2023 को विभागीय अधिकारी सर्वेक्षक एवं क्षेत्रीय राजस्व उपनिरीक्षक के साथ पट्टाधारक के अधिकृत प्रतिनिधि श्री नितिश मैर की उपस्थिति में पुनः स्थलीय निरीक्षण किया गया। संयुक्त स्थलीय निरीक्षण के दौरान पट्टाधारक द्वारा पट्टाक्षेत्र से बाहर कुल 600 वर्गमीटर क्षेत्र में अवैध खनन कार्य किया पाया गया, जिसमें 05 मीटर गहराई तक खनन पिट विकसित की गयी है। स्थल पर खनन कार्य हेतु खोदे गये 05 मीटर गहराई के पिट में से 1.5 मीटर अपेवरवर्डन देखा गया तथा 3.50 मीटर गहराई में अवैध रूप से सोपस्टोन का खनन कार्य किया गया है। पट्टाक्षेत्र की अनुमोदित स्कीम आफ माइनिंग के अनुसार पिट से प्राप्त खनिज की मात्रा का 30 प्रशित सोपस्टोन खनिज पाया जाने का उल्लेख किया गया है, जिसके अनुसार पट्टाक्षेत्र से बाहर कुल 600 वर्गमीटर क्षेत्र में 1.5 मीटर ओवरवर्डन को पृथक करते हुये 3.50 मीटर गहराई में किये गये खुदान से प्राप्त कुल 1638 टन अवैध सोपस्टोन खनन किये जाने पर उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवासरण) नियमावली–2021 के बिन्दु–14(5)(क) में प्राविधानानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया है।

खान निरीक्षक, प्रभारी खान अधिकारी की उक्त आख्या से सहमत होकर वाद संस्थित कर विपक्षी को दिनांक 18.04.2023 को नोटिस जारी किया गया है। विपक्षी मै0 जे0डी0मिनरल्स, प्रो0 राजेन्द्र सिंह डफौटी, बी–54, जज फार्म छोटी मुखानी हल्द्वानी, जिला नैनीताल द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 19.04.2023 प्रस्तुत करते हुए पट्टाक्षेत्र से बाहर कुल 1638 टन सोपस्टोन के अवैध खनन पाये जाने पर अपनी त्रुटि स्वीकार करते हुए शपथ पत्र/प्रार्थना पर प्रस्तुत किया गया है कि विपक्षी की आर्थिक स्थिति ठीक नही होने से अधिरोपित धनराशि को 02 किस्तो में जमा कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

खान निरीक्षक/प्रभारी खान अधिकारी, पिथौरागढ़ से प्राप्त चालानी रिपोर्ट के क्रम में मॉ होकरा स्टोनक्रेशर प्रा0 लि0, पार्टनर उपरोक्त द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के दृष्टिगत विपक्षी मै0 जे0डी0मिनरल्स, प्रो0 राजेन्द्र सिंह डफौटी, बी–54, जज फार्म छोटी मुखानी हल्द्वानी, जिला नैनीताल पर उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली–2021 के बिन्दु

Lalit

सत्यापित

जिलाधिकारी
पिथौरागढ़

आ5
2

-2-

संख्या–14 के 5(क) में किये गये प्राविधानों के अनुसार स्वीकृत पट्टा क्षेत्र से बाहर कुल 1638 टन अवैध सोपस्टोन का खनन किये जाने पर कुल 1638 टन उप खनिज सोपस्टोन की रायल्टी दर रू0 450.00 प्रतिटन का 02 गुना के समतुल्य धनराशि रू0 14,74,200.00 (रू0 चोदह लाख चौहत्तर हजार दो सौ सत्तावन मात्र) अधिरोपित करते हुए अधिक अवैध खनन सोपस्टोन उपखनिज को विपक्षी के पक्ष में अवमुक्त किया जाता है। विपक्षी पट्टेधारक को आदेशित किया जाता है कि अधिरोपित धनराशि रू0 14,74,200.00 की प्रथम किस्त रू0 7,00,000.00 (रू0 सात लाख)जमा कराने उपरान्त ई–रवन्ना पोर्टल को अवमुक्त किया जायेगा व शेष धनराशि अर्थात दूसरी किस्त रू0 7,74,200.00 को माह जून के प्रथम सप्ताह में जमा खजाना करेगें। वे इस आदेश के 30 दिन के अन्दर उक्त प्रथम किस्त की धनराशि जमा करा दें। जिला खान अधिकारी, पिथौरागढ़ उक्तानुसार अधिरोपित धनराशि विपक्षी से उक्तानुसार दिये गये समयान्तर्गत निर्धारित मद में जमा खजाना करवाना सुनिश्चित करें। आदेश की एक प्रति विपक्षी तथा जिला खान अधिकारी, पिथौरागढ़ को प्रेषित की जाय। उपरोक्त सम्पूर्ण कार्यवाही के पश्चात वाद अनुपालन पत्रावली दा0द0हो।

दिनांक अप्रैल 25,2023

(रीना जोशी)
जिला मजिस्ट्रेट, पिथौरागढ़।

आज दिनांक 25-04-2023 को उक्त आदेश खुली अदालत में मेरे हस्ताक्षरों एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया है।

(रीना जोशी)
जिला मजिस्ट्रेट, पिथौरागढ़।

सत्यापित

Lalit

जिलाधिकारी
पिथौरागढ़

Treasury Form No. ...
Financial Handbook Vol. V, Part II
Form No. 43A(1)
(See Paragraph 417 and 478)
Challan form for depositing amount

Name of the Treasury/Sub-Treasury/Bank/Bank Branch - State Bank Of India (Payment Gateway)

Status : (S) Completed successfully.

1	Name of the person (designation if necessary or Organization on whose behalf amount is being paid.	J D MINERALS
2	Address	B - 54 JUDGE FARM CHHOTI MUKHANI HALDWAN, , NAINITAL Uttarakhand 263139
3	Registration Number (if necessary)	
4	Full details of amount to be deposited (for which purpose and in favour of)	Imposed fee charge on illegal Soap stone during Mining at Village Bajeta Teshil Munsyari District Pithoragarh
5	Gross value of Challan	700000
6	Net value of Challan	700000
7	Deaprtment	Director Industries
8	Related office for which challan is to be deposit	District Mine Officer Pithoragarh
9	Full details of Head of Account	0853 - Non-ferrous Mining and Metallurgical Industries
10	13 Digit code of Head of A/c	As per details below

SL No.	Services	Detail Head	Amount
1	Mineral Concession Fee rent and interest charges.	0853001020100	700000
	Total Challan Amount-		700000

Amount (in words) - Rs. Seven Lakh only

Signature of departmental officer with seal

J D MINERALS

Challan No- 08530723E0025630

Date - 11-JUL-2023

Amount in Figure(Rs.) - 700000

Amount in words - Rs. Seven Lakh only

Received Through

Bank Reff. No. - CPACXBIFU2

State Bank Of India (Payment Gateway)

जिलाधिकारी
पिथौरागढ़

Uttarakhand

Challan

Bank Reff. No.

Treasury Form-209(1)
Financial Handbook Vol. V, Part- II
Form No. 43A(1)
(See Paragraph 417 and 478)
Challan form for depositing amount

Name of the Treasury/Sub-Treasury/Bank/Bank Branch - State Bank Of India (Payment Gateway)

Status : (S) Completed Successfully

1	Name of the person (designation if necessary or Organization on whose behalf amount is being paid.	J D MINERALS
2	Address	B - 54 JUDGE FARM CHHOTI MUKHANI HALDWAN, , NAINITAL Uttarakhand 263139
3	Registration Number (if necessary)	
4	Full details of amount to be deposited (for which purpose and in favour of)	Imposed fee charge on illegal Soap stone during Mining at Village Bajeta Teshil Munsyari District Pithoragarh
5	Gross value of Challan	774200
6	Net value of Challan	774200
7	Deaprtment	Director Industries
8	Related office for which challan is to be deposit	District Mine Officer Pithoragarh
9	Full details of Head of Account	0853 - Non-ferrous Mining and Metallurgical Industries
10	13 Digit code of Head of A/c	As per details below

SL No.	Services	Detail Head	Amount
1	Mineral Concession Fee rent and interest charges.	0853001020100	774200
	Total Challan Amount-		774200

Amount (in words) - Rs. Seven Lakh Seventy-Four Thousand Two Hundred only

Signature of departmental officer with seal

For J. D. Minerals

Auth. Signatory

Challan No- 08530423E0054654

Date - 29-APR-2023

Amount in Figure(Rs.) - 774200

Amount in words - Rs. Seven Lakh Seventy-Four Thousand Two Hundred only

Received Through

Bank Reff. No. - CPACRZTEE6

State Bank Of India (Payment Gateway)

सत्यापित

Lalit

जिलाधिकारी
पिथौरागढ़

अनुलग्नक-03

"उत्तराखण्ड वन सदैव आपके संग"

कार्यालय वन क्षेत्राधिकारी वन क्षेत्र मुनस्यारी

Mail Id:- rangeofficemunsyari@gmail.com

पत्रांक 355/27-1 दिनांक, मुनस्यारी 21 सितम्बर, 2023

सेवा में,

मै0 जे0डी0 मिनरल्स,
पट्टा धारक,
राजेन्द्र सिंह दफौटी पुत्र नन्दन सिंह दफौटी,
B-54 फार्म छोटी मुखानी, हल्द्वानी,
जिला– नैनीताल।

विषयः– **अवैध पातन के सम्बन्ध में।**

उपर्युक्त विषयक पत्र के क्रम में सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा वन पंचायत बजेता में खड़िया खनन पट्टा क्षेत्र अन्तर्गत वृक्षों का अवैध पातन किया गया था, जिस हेतु आपके विरूद्ध भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 32, 33 प्रसूचना 04, रेंज केस संख्या 14 दिनांक 15.03.2023 दर्ज किया गया। कुल क्षतिपूर्ति रू0 321778/- मध्ये आपके द्वारा प्रथम किश्त रू0 105000/- दिनांक 18.03.2023 को तथा द्वितीय किश्त रू0 216778/- दिनांक 21.09.2023 को जमा कर ली गयी है। इस कार्यालय की रसीद संख्या 942/094159 दिनांक 18.03.2023 तथा रसीद संख्या 942/094163 दिनांक 21.09.2023 से प्राप्त कर ली गयी है।

अतः आपके द्वारा कुल क्षतिपूर्ति रू0 321778/- पूर्ण धनराशि जमा कर ली गयी है।

संलग्नः– रसीद।

(विजय चन्द्र भट्ट)
वन क्षेत्राधिकारी
मुनस्यारी

Lalit

सत्यापित।

जिलाधिकारी
पिथौरागढ़

फार्म संख्या ई – 3

"उत्तरी कुमाऊँ"

वन विभाग, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड

पुस्तक संख्या– 942 क्रमांक 094163

रेंज मुनस्यारी वन प्रभाग पिथौरागढ़ वर्ष 2023-24

श्री राजेन्द्र सिंह दफौटी पुत्र श्री नन्दन सिंह दफौटी पता B-54 फार्म

कोठी मुखानी हल्द्वानी से रुपया 216778/- (अंकों में) रुपया दो लाख

सोलह हजार सात सौ अठहत्तर (शब्दों में) दिनांक 21-09-23 को रेंज/सं०-14/

मुनस्यारी/2022-23 के भुगतान का प्राप्त किया।

वन पंचायत कोटा के अवैध खनन/पातन

मामले में 200 ट्रिप, प्रथम किस्त वसूली,

दिनांक

21-09-2023

वनाधिकारी

वन क्षेत्राधिकारी

पूरा हस्ताक्षर और सील

सत्यापित।

Lalit

जिलाधिकारी

पिथौरागढ़

"उत्तराखण्ड वन संपदा आपकी संपदा"

कार्यालय वन क्षेत्राधिकारी वन क्षेत्र मुनस्यारी

Mail Id:- rangeofficemunsyari@gmail.com

पत्रांक 388/27-1 दिनांक, मुनस्यारी 21 सितम्बर, 2023

सेवा में,

मै० जे०डी० मिनरल्स,
पट्टा धारक,
राजेन्द्र सिंह दफौटी पुत्र मदन सिंह दफौटी,
B-54 फार्म छोटी मुखानी, हल्द्वानी,
जिला– नैनीताल।

विषय:– अवैध पातन के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयक पत्र के क्रम में सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा वन पंचायत बजेता में खड़िया खनन पट्टा क्षेत्र अन्तर्गत वृक्षों का अवैध पातन किया गया था, जिस हेतु आपके विरूद्ध भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 32, 33 प्रसूचना 04, रेंज केस संख्या 14 दिनांक 15.03.2023 दर्ज किया गया। कुल क्षतिपूर्ति रू0 321778/- मध्ये आपके द्वारा प्रथम किश्त रू0 105000/- दिनांक 18.03.2023 को तथा द्वितीय किश्त रू0 216778/- दिनांक 21.09.2023 को जमा कर ली गयी है। इस कार्यालय की रसीद संख्या 942/094159 दिनांक 18.03.2023 तथा रसीद संख्या 942/094163 दिनांक 21.09.2023 से प्राप्त कर ली गयी है।

अतः आपके द्वारा कुल क्षतिपूर्ति रू0 321778/- पूर्ण धनराशि जमा कर ली गयी है।

संलग्न:– रसीद।

(विजय चन्द्र भट्ट)
वन क्षेत्राधिकारी
मुनस्यारी

O/C

सत्यापित।

जिलाधिकारी
पिथौरागढ़

फार्म संख्या ई – 3

"उत्तरी कुमाऊँ"

वन विभाग, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड

पुस्तक संख्या– 942 क्रम संख्या– 094159

रेंज मुनस्यारी वन प्रभाग पिथौरागढ़ वर्ष 200[illegible]

श्री [illegible] पुत्र श्री [illegible] पिता [illegible] 54 [illegible]

[illegible] से रुपया 105000.00 (अंकों में) रुपया एक लाख पाँच हजार [illegible] (शब्दों में) दिनांक 18.3.2023 को [illegible]

[illegible] के भुगतान का प्राप्त किया।

दिनांक 18.[illegible] /200[illegible]

[illegible]

वनाधिकारी

सत्यापित।

Lalit

जिलाधिकारी

पिथौरागढ़

अनुलग्नक-04

सत्यापित

Lalit
DMO

जिलाधिकारी
पिथौरागढ़

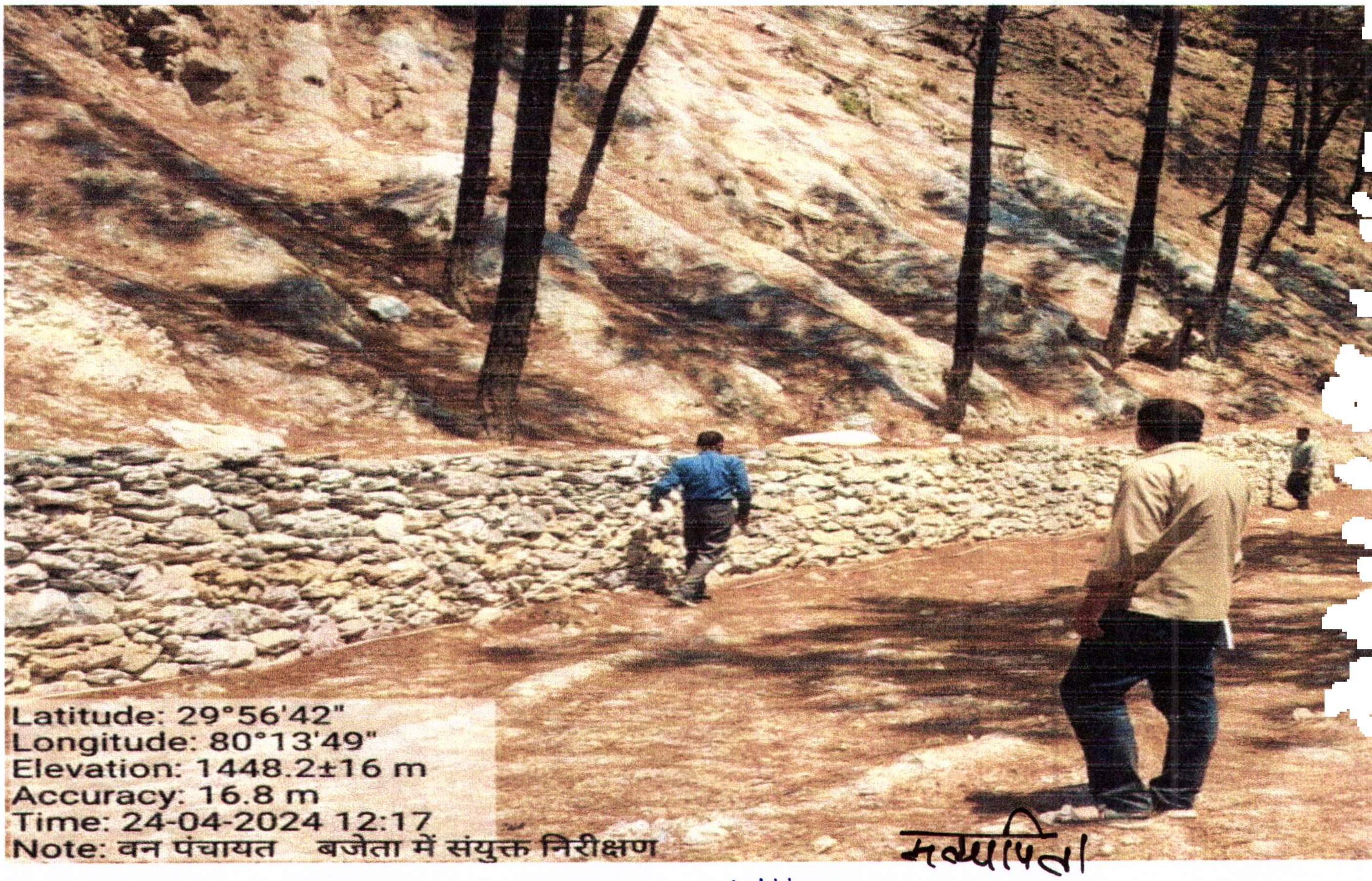

सत्यापित

Lalit
DMO

जिलाधिकारी
पिथौरागढ़

सत्यापित।

Jolit
DMO

जिलाधिकारी
पिथौरागढ़

अवलोकित।

Lalit
DMO

जिलाधिकारी
पिथौरागढ़

अनुलग्नक-05

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

E-mail: dfopithoragarh@rediffmail.com; Fax/☎ 05964-225234

पत्रॉकः— 7174/9—2 दिनांक, पिथौरागढ़, 25 अप्रैल, 2024 ।

सेवा में,

राजेन्द्र सिंह दफौटी,
B-54, Judge Farm, Mukhani,
Haldwani - 263139,
Dist. Nainital.

विषयः— **Regarding to provide Van panchayat land of forest land to have plantation nearby your Bajeta soap stone Mine at bajeta, Munsyari, Pithoragarh.**

सन्दर्भः— **इस कार्यालय का पत्र सं0 7050/9—2 दिनांक 15.04.2024।**

उपरोक्त विषयक कम में इस कार्यालय के सन्दर्भित पत्र से पूर्व में मात्र 2200 पौंधो (2.0 हे0 क्षे0) के वृक्षारोपण का आंकलन प्रेषित किया गया था, परन्तु SEIAA, उत्तराखण्ड द्वारा जारी पर्यावरणीय अनुमति की **शर्त सं0 2.18 (प्रति संलग्न)** के अनुसार कम से कम 18000 पौंधो के वृक्षारोपण एवं 03 साल के अनुरक्षण किये जाने का प्राविधान है तथा उक्त के अतिरिक्त आपके द्वारा बनाये गये Mining Plan (खनन योजना) में 300 पौंधो के वृक्षारोपण **(प्रति संलग्न)** किये जाने का उल्लेख किया गया है। इस प्रकार कुल 18300 पौंधो का वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है, जिनका रोपण कैम्पा योजना (1100 पौंध प्रति है0) अनुसार 16.64 हे0 क्षेत्र में विस्तारित किया जायेगा।

अवगत कराना है कि दिनांक 16.11.2023 को किये गये संयुक्त निरीक्षण अनुसार आप द्वारा रोपित किये गये वृक्षों का उचित रख—रखाव न होने के कारण अधिकांश पौंधे सूखने की अवस्था में पाये गये। अतः रोपित किये जाने वाले पौंधो का वृक्षारोपण, समुचित देख—रेख/अनुरक्षण वन विभाग द्वारा सम्पादित कराया जाना उचित होगा ताकि रोपित किये गए पौंधो की सफलता सुनिश्चित की जा सके। उपरोक्त कम में वृक्षारोपण कार्य निम्नानुसार 02 चरणों में किया जाएगा, जिसकी आंकलित धनराशि निम्नवत है।

चयनित स्थल का नाम	कार्य का विवरण	क्षेत्रफल (हे0)	वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड अल्मोड़ा के स्थायी आदेश सं0 1833/9—3 (1) दिनांक 31.12.2022 द्वारा निर्धारित इकाई दर	आवश्यक धनराशि (रु0 में)
मुनस्यारी रेंज अन्तर्गत वन पंचायत बजेता	**प्रथम चरण**			
	वृक्षारोपण कार्य हेतु अग्रिम मृदा व्यय (वर्ष 2024—25)	8.32	114910/-	956051.2
	वृक्षारोपण कार्य (वर्ष 2025—26)	8.32	59009/-	490954.9
	देख रेख एवं अनुरक्षण कार्य (प्रथम वर्ष) (2026—27)	8.32	36795/-	306134.4
	देख रेख एवं अनुरक्षण कार्य (द्वितीय वर्ष) (2027—28)	8.32	29341/-	244117.1
	देख रेख एवं अनुरक्षण कार्य (तृतीय वर्ष) (2028—29)	8.32	30808/-	256322.6
	द्वितीय चरण			
	वृक्षारोपण कार्य हेतु अग्रिम मृदा व्यय (वर्ष 2025—26)	8.32	114910/-	956051.2
	वृक्षारोपण कार्य (2026—27)	8.32	59009/-	490954.9
	देख रेख एवं अनुरक्षण कार्य (प्रथम वर्ष) (2027—28)	8.32	36795/-	306134.4
	देख रेख एवं अनुरक्षण कार्य (द्वितीय वर्ष) (2028—29)	8.32	29341/-	244117.1
	देख रेख एवं अनुरक्षण कार्य (तृतीय वर्ष) (2029—30)	8.32	30808/-	256322.6
			योग	4507160.32 or say 4507160.00
				(पैंतालीस लाख सात हजार एक सौ साठ मात्र)

अतः उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण कार्य हेतु आंकलित धनराशि **8443—00—109—01—01 फॉरेस्ट डिपॉजिट मद** में चालान के माध्यम से विभाग के पक्ष में जमा कराना सुनिश्चित करें, ताकि प्रभाग स्तर से वृक्षारोपण कार्य हेतु अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

Lalit

अग्रसारित।

जिलाधिकारी
पिथौरागढ़

साथ ही **शर्त सं0 2.18** में यह भी उल्लिखित है कि प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र की सीमा के चारों ओर 5.0 मी0 चौड़ाई में झाड़ियों युक्त घना वृक्षारोपण किया जाना है। अतः आप उक्त शर्त के अनुपालन में खनन क्षेत्र के चारों ओर 5.0 मी0 चौड़ाई में झाड़ियों युक्त वृक्षारोपण करना सुनिश्चित करें।

नोटः– तालिका के कॉलम 04 में दर्शायी गयी दरें वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड अल्मोड़ा के स्थायी आदेश सं0 1833/9–3 (1) दिनांक 31.12.2022 के कम में हैं।

संलग्नः– यथोक्त।

(आशुतोष सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग पिथौरागढ़

संख्याः– 7174 /9–2 दिनांकित।

प्रतिलिपिः– 1. वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।
2. जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(आशुतोष सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग पिथौरागढ़।

अवलोकित।

जिलाधिकारी
पिथौरागढ़

अनुलग्नक-06

आदेश

मै0 जे0डी0 मिनरल्स प्रो0 श्री राजेन्द्र सिंह दफौटी, निवासी बी0–54 जज फार्म छोटी मुखानी, हल्द्वानी, जनपद पिथौरागढ़ के पक्ष में ग्राम बजेता, तहसील मुनस्यारी, जनपद पिथौरागढ़ क्षेत्रान्तर्गत 17.967 है0 भूमि पर स्वीकृत सोपस्टोन के खनन पट्टे के सम्बन्ध में मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या–78/2023 दुर्गा सिंह पवांर एवं अन्य बनाम राजेन्द्र सिंह दफौटी एवं अन्य में मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा दिनांक 06.09.2023 को पारित आदेश के मुख्य अंश निम्नानुसार हैं :–

.... In view of the mandate in Section 20 of the National Green Tribunal Act, 2010 requiring this Tribunal to apply precautionary principle and serious environmental violations alleged to have been made by the respondent no. 5, respondent no. 5 is restrained till further orders from carrying out any further mining activity in the mining site leased out to it.

The District Magistrate and the Superintendent of Police, Pithoragarh are also directed to take appropriate steps to ensure that no further mining takes place in the mining site in question.

अतः मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में मै0 जे0डी0 मिनरल्स प्रो0 श्री राजेन्द्र सिंह दफौटी, निवासी बी0–54 जज फार्म छोटी मुखानी, हल्द्वानी, जनपद पिथौरागढ़ के पक्ष में ग्राम बजेता, तहसील मुनस्यारी, जनपद पिथौरागढ़ क्षेत्रान्तर्गत 17.967 है0 भूमि पर स्वीकृत सोपस्टोन के खनन पट्टे में खनन/निकासी कार्य अग्रिम आदेशों तक प्रतिबन्धित किया जाता है।

उप जिलाधिकारी, मुनस्यारी एवं जिला खान अधिकारी, पिथौरागढ़ यह सुनिश्चित करेंगे के उक्त खनन स्थल पर अग्रिम आदेशों तक किसी प्रकार का खनन/निकासी कार्य न होने पावे।

दिनांक सितम्बर 19 , 2023

(रीना जोशी)
जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।

कार्यालय
जिलाधिकारी, पिथौरागढ़
पत्रांक 7837 दिनांक 19.9.23

कार्यालय जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।
संख्या–2358/तीस–खनन/2022–23 दिनांक सितम्बर 19 , 2023

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. पुलिस अधीक्षक, पिथौरागढ़।
2. उप जिलाधिकारी, मुनस्यारी।
3. जिला खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, पिथौरागढ़।
4. मै0 जे0डी0 मिनरल्स प्रो0 श्री राजेन्द्र सिंह दफौटी, निवासी बी0–54 जज फार्म छोटी मुखानी, हल्द्वानी, जनपद पिथौरागढ़।

सत्यापित।

Lalit

जिलाधिकारी
पिथौरागढ़

(रीना जोशी)
जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।